न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 148/2022 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
निवासी, 32 ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास, स0मा0

GCMS No-2022/254

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.01.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक/एफ.3(2)12(55) होटल/राजस्व/91/4370 दिनांक 11.7.2011 की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे।
2. यह है कि कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक प.2(12) (55) होटल /राजस्व/91/5844–52 दिनांक 13.9.2011

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(134)सूकाअ/2022/1528 दिनांक 27.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 3.112022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से प्राप्त की जाकर अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1501 दिनांक 23.12.2022 से भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.11.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 23.12.2022 से [illegible] को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:30:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर